दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा
डिक्री

दिनांक :– 09/12/25

वादी की ओर से श्री हनुमान भादू अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 की ओर से श्री अश्विनी सिहाग अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को **उमा मित्तल आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे निम्नानुसार घोषणा की जाती है कि –

क. वादी नवदीप कुमार को प्राप्त कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 12 पीबीएन के खाता स. 16/10 के प.न.33/300 (42) के किला न. 3/1/0.228, 3/2/0. 025, 4/1/0.228, 4/2/0.025, 5/1/0.203, 5/2/0.025, 5/3/0.025, 6/1/0.228, 6/2/0.025, 7/0.253, 8/0.253, 14/0.253, 15/1/0.228, 15/2/0.025 इस प्रकार कुल 2.024 हैक, नहरी मय गैरमुमकिन खाला रास्ता कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.02.09 15:15:08 IST
Reason: SelfAttested

ख. प्रतिवादी स. 1 कृष्णलाल को प्राप्त कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 12 पीबीएन के खाता स.16/10 के प.न.32/300 (41) के किला न. 5/0.253, 6/0.253 व प.न. 33/300 (42) के किला न.1/1/0.228, 1/2/0.025, 10/0.253, 11/0.253 इस प्रकार कुल 1.265 हैक. नहरी मय गैरमुमकिन खाला रास्ता कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

ग. प्रतिवादी स. 2 सुरेन्द्र कुमार को प्राप्त कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 12 पीबीएन के खाता स. 16/10 के प.न. 33/300 (42) के किला न. 2/1/0.228,2/2/0.025, 9/0.253, 12/0.253, 13/0.253 इस प्रकार कुल 1.012 हैक. नहरी मय गैरमुमकिन खाला कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 9/12/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.02.09 15:15:08 IST
Reason: SelfAttested